कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 214/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 06.06.2026

प्रेस नोट

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 06.06.2026

बच्चों के साथ मारपीट व चोट पहुंचाने के प्रकरण में 02 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.06.2026 को वादी श्री रिंकू सोनी पुत्र सुभाष सोनी निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा उनके पुत्र आयुष सोनी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं तथा वह बेहोश हो गया। वादी द्वारा विरोध करने पर विपक्षीगण ने धमकी भी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 170/2026 पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्यों के संकलन एवं जांच उपरांत अभियोग में धारा 3(5)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस का अपराध परिलक्षित होने पर आवश्यक विधिक संशोधन किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष कप्तानगंज के निर्देशन में दिनांक 06.06.2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक गंगाराम बिन्द मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तगण—

1. मंसूर अली पुत्र महबूब, निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
2. करीम पुत्र मंसूर अली, निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
3. एक बाल अपचारी

को छाता का पुरा ओवरब्रिज के पास सर्विस लेन से दिनांक 06.06.2026 को प्रातः 05:00 बजे गिरफ्तार/संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों एवं बाल अपचारी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 170/2026 धारा 3(5)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त/पुलिस अभिरक्षा-

1. मंसूर अली पुत्र महबूब निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 45 वर्ष।
2. करीम पुत्र मंसूर अली निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।
3. एक बाल अपचारी, उम्र लगभग 13 वर्ष।

अभियुक्त मंसूर अली का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 11/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 170/2026 धारा 3(5)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
- रि0का0 लोकेश पाण्डेय, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़
- रि0का0 विवेक यादव, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक : 06.06.2026
थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

☐ गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग का सदस्य एवं गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन एवं गोवध से संबंधित संगठित अपराध में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 05.06.2026 को जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 190/2026 धारा 3(1), 2(ख)(17) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अबु तालिब उर्फ तालिब सहित 04 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय सिंह गौड़ द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 06.06.2026 को अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

☐ गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 06.06.2026 को उपनिरीक्षक सत्येन्द्र कुमार मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र भ्रमण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में थे।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम कटार तिराहा, चिरैयामोड़ रोड के पास से गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त **अबु तालिब उर्फ तालिब पुत्र जियाउद्दीन निवासी बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़** उम्र लगभग 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

☐ पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं की तस्करी एवं गोकशी से संबंधित अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। अपनी सुरक्षा एवं विरोध करने वालों को भयभीत करने के उद्देश्य से वह अपने पास अवैध तमंचा एवं कारतूस रखता है तथा अपराध करते समय पकड़े जाने की स्थिति में इसका प्रयोग कर भाग निकलता है।

☐ सम्बन्धित अभियोग

1. मु0अ0सं0 190/2026 धारा 3(1), 2(ख)(17) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 192/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त

अबु तालिब उर्फ तालिब पुत्र जियाउद्दीन निवासी- बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र- लगभग 40 वर्ष

☐ बरामदगी

- एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

☐ आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 153/2024 धारा 34/307/504/411/420/467/468 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 281/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
4. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 190/2026 धारा 3(1), 2(ख)(17) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 192/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।

☐ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार, थाना फूलपुर
- का0 अनुपम सिंह
- का0 दयाशंकर
- का0 शरद यादव
- रि0का0 अमन यादव

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा संगठित अपराध, गोवंश तस्करी एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.06.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 के आरोप में 6 वर्ष के कठोर कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 के आरोप में 6 वर्ष के कठोर कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 12.12.2013 को वादी मुकदमा निरी एन0पी0 गौड़ भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 इकाई गोरखपुर ने थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मनपूजन चौहान (राजस्व लेखपाल) पुत्र स्व0 लुरखुल निवासी बड़ागाव बहादुरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा भूमि प्रमाण पत्र बनाने हेतु 500 रुपया घूस लेते हुए पकड़े गये ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0-477/2013 धारा-7/13(1)(D) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवा0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 06.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से **सम्बन्धित अभियुक्त मनपूजन चौहान (राजस्व लेखपाल) पुत्र स्व0 लुरखुल निवासी बड़ागाव बहादुरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया ।